कार्यकानाम :- वर्ष 2016-17 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद मैनपुरी में शिकोहाबाद भोगांव मार्ग (राज्य मार्ग संख्या -84)के चैनेज 21.000 से 43.800 एवं घिरोर बाईपास मार्ग (ल. 6.56 कि.मी.) कुल लंबाई 25.66 कि मी का चार लेन चौड़ीकरण एवं सुद्रढ़ीकरण के कार्य हेतु मार्ग के दोनों तरफ पड़ने वाली संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी उपयोग हेतु आवेदन

प्रस्तावक क नाम :- प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग , मैनपुरी

प्रस्ताव संख्या:-

प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि का क्षेत्रफल :- 24.92755 हेक्टेयर

योजना का उददेश्य

उपरोक्त कार्य का विस्तृत आगणन शासनादेश संख्या–233/2016/1499ई./23–11–2016–1/2(33)/2016 दिनांक 30–08–2016 के अनुपालन में गठित किया गया है। शिकोहाबाद–भोगांव राज्यमार्ग संख्या–84 शिकोहाबाद आबादी से प्रारम्भ होकर मैनपुरी में राज्यमार्ग संख्या–83 (इटावा–मैनपुरी–कुरावली चार लेन मार्ग) को क्रास करते हुए भोगांव में राष्ट्रीय मार्ग संख्या–11 (दिल्ली–कानपुरी मार्ग) पर किमी.–266 में मिलाता है। मार्ग के चैनेज 21.000 से 43.800 तक (लम्बाई–25.66 किमी.) तक का भाग लोक निर्माण विभाग मैनपुरी के अंतर्गत आता है। आगरा से लखनऊ, कानपुर, कन्नौज की ओर जाने वाला भारी यातायात इस मार्ग से होकर गुजरता है। भारी यातायात के कारण मार्ग पर जाम की स्थिति बनी रहती है अतः मार्ग को चार लेन चौड़ीकरण कराया जाना जनहित में अत्यंत आवश्यक है। राज्यमार्ग संख्या–84 के दोनों तरफ की पटरियों को उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश संख्या–115/XIV–331–50 दिनांक 11 फरवरी 1960 द्वारा संरक्षित वन घोषित है। चूंकि मार्ग का चौड़ीकरण दायीं तथा बायीं पटरियों पर किया जायेगा। निर्माण कार्य हेतु कुल आवेदित संरक्षित वन भूमि क्षेत्रफल 24.92755 हेक्टेयर न्यूनतम है तथा अन्य कोई वैकल्पिक भूमि मार्ग के चौड़ीकरण हेतु उपलब्ध नहीं है अतः मार्ग के चौड़ीकरण के निर्माण कार्य हेतु वन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र आपेक्षित है।

(डी. के. चौधरी)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
मैनपुरी।